

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 1973/फाल्गुन 4, 1894

No. 40] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 1973/PHALGUNA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February 1973

G.S.R. 69(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of rule 7 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1967, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Appointment by Competitive Examinations)—Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1967, in condition (2) of regulation 4, for the figures "24", the figures "26" shall be substituted.

[No. 4/2/72-AIS(IV).]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1973

सा.का.नि. 69(अ) —ग्रामिण भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 7 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों और संब. लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय वन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाने है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय वन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) प्रथम संशोधन विनियम, 1973 बने जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।]

2. भारतीय वन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1967 में विनियम 4 के प्रतिबन्ध (2) में "24" के श्रंक के स्थान पर "26" श्रंक प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[संख्या 4/2/72-अ० भा० से० (IV)]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ERRATUM

In the Ministry of Home Affairs Notification No. 12011/52/72-F.III(III), dated the 5th January, 1973 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (i) under Issue No. 4, dated the 8th January, 1973 for "G.S.R. 4(E) to 6(E)" read "G.S.R. 6(E)".